http://krishipravahika.vitalbiotech.org/

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2023) वर्ष 3, अंक 8, 3-5

Article ID: 293

महिला आत्मनिर्भरता एवं पशुपालन

डॉ. विभा यादव*, डॉ. आर. पी. दिवाकर, डॉ. प्रमोद कुमार एवं डॉ. ऋषि कान्त

सहायक प्राध्यापक, पशु सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

देश की कुल जनसंख्या की आधी आबादी महिलाओं की है, राष्ट्रीय व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की संकल्पन इनके बिना किया जाना सोची भी नही जा सकता है। माहिलाओं का शिक्षित होना व उनके स्वावलम्बन, से लेकर समाज के वर्तमान को ही नही अपितु भविष्य को भी संवारने का अचूक हथियार है। महिलाओं के आत्मनिर्भरता का अर्थ उनके जीवन–स्तर में बदलाव सामाजिक सोच में बदलाव, और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की पहली व अनिवार्य शर्त है। देश में महिलाएं हर रोज कृषि एवं कृषि से जुड़े व्यवसाय में सदियों से कार्य करती आ रही हैं, बेझिझक बिना रूके, अपने सभी गृह कार्य सम्पादित करते हुए।

देश की कुल जनसंख्या की 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रो में रहती है उनमें 85 प्रतिशत लोगों की अजीविका कृषि एवं इससे जुडे क्षेत्रों पर निर्भर है। विशेष रूप से जब हम पशुपालन की बात करते है तो यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 80–85 प्रतिशत योगदान महिलाओं का है। वार्षिक सर्वेक्षण 2020–21 के अनुसार लगभग 7.8 करोड़ महिलाएं दुग्ध उत्पादन और पशुधन व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में सार्थक भूमिका निभा रही है। देश के विभिन्न राज्यों की महिला केन्द्रित विशेष प्रोत्साहन योजनाओं जैसे महिला डेयरी की स्थापना किया जाना आदि उत्तराखण्ड व गुजरात में महिलाओं की पशुपालन द्वारा आत्मनिर्भरता अन्य राज्यो के लिए एक मिशाल है।

पशुधन व्यवसाय के विभिन्न आयामों में डेयरी के अतिरिक्त बकरी, सूकर, मुर्गी, बत्तख, बटेर, खरगोश तथा भेड पालन हमारे देश की विविध भौगोलिक व जलवायु वितरण की दशाएँ, तथा उपलब्ध स्थानीय संसाधन व अन्य परिस्थितियों के अनुरूप रोजगार के अन्यान्य अवसर प्रदान करने वाले हैं। क्षेत्र विशेष की रूढ़िवादिता व सामाजिक सोच के कारण महिलाओं को अलग व्यवसाय चुनने की स्वतत्रंता, प्रशिक्षण की कमी, उद्यमिता के स्तर को प्राप्त न करना, ऋण सम्बन्धी परेशानी आदि समस्याओं से जूझना पड़ता है और पितृ सत्तात्मक एवं पुरूष प्रधान समाज में उनकी निर्भरता परिवार के पुरूषो पर रह जाती है। पशुपालन व इससे जुडे व्यवसाय महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त साधन हैं। इससे भविष्य के सुदृढ़ समाज की संकल्पना भी साकार होगी।

इन्हीं कारणों से विगत दो दशकों में विविध सरकारी योजनाएं भी महिलाओं को केन्द्र में रखकर तैयार की जाती है जहॉ महिलाओं के लिए पशुपालन हेतु पूँजी, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन व पुरस्कार के प्रावधान हैं। पशुपालन में डेयरी गाय या भैंस पालन छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर जिनमें 2 पशु से 25 पशु तक की डेयरी जमीन व पूँजी की उपलब्धता के अनुसार की जा सकती है, सरकारी योजनाओं, जैसे आर.के. वी.वाई. (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा नाबार्ड द्वारा ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

डेयरी में दूध के अतिरिक्त इसके मूल्य सवंर्धित

उत्पाद जैसे पनीर, खोया, मिल्क पाउडर, घी आदि तैयार करने के लिए महिला उद्यमिता विकास स्टार्टअप कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न बैंको द्वारा चिलिंग प्लांट व मिल्क प्रासेसिंग प्लांट हेतु कम ब्याज दर पर ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पशुपालन का मुख्य घटक कृषि के साथ–साथ गाय–भैंस पालन है। ऐसी महिलाएं जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, उनके लिए बकरी पालन, सूकर पालन, बैकयार्ड पोल्ट्री पालन, बत्तख पालन तथा पहाड़ी क्षेत्रो में खरखोश पालन का कार्य उन्हे आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। बकरी पालन में कम लागत एवं कम स्थान की आवश्यकता होती है तथा उन्हे केवल चराकर भी आसानी से पाला जा सकता है, इसी कारण इन्हे "गरीबो की गाय" भी कहा जाता है। बकरी की प्रजनन क्षमता अधिक होने तथा सामाजिक रूप से मान्य होने तथा आसानी से बाजार उपलब्ध होने के कारण बकरी पालन अपनाया जाना एक आसान व्यवसाय है, इसी प्रकार सूकर पालन में भी इनकी उच्च प्रजनन क्षमता, एक बार में 7–8 बच्चे देने अर्थात बडे लिटर साइज के कारण बहुत की लाभकारी व्यवसाय है। सामाजिक रूप से गरीब व जातिगत बाधा होने से दलित परिवार की महिलाएं आसानी से इसे कर सकती हैं तथा इसके लिए बैंक से ऋण भी उपलब्ध हो जाता है।

मुर्गी पालन के भी विभिन्न आयाम हैं, जिनमें ब्रायलयर मांस उत्पादन हेतु तथा अण्डे देने वाले मुर्गियों का पालन से लेकर बटेर, टर्की, बत्तख का पालन भी किया जा सकता है। ऐसे स्थान जहॉ तालाब की उपलब्धता हो जमीन में पानी रूकने की समस्या रहती हो जिसे (वाटर लागिंग) कहते है अथवा दलदली जमीन हो, बत्तख आसानी से पाले जा सकते हैं, बत्तख को घर के बचे–खुचे जूठन, सड़े–गले पत्तों, कीड़े ,मकोड़ो, को खिलाकर पाला जा सकता है जबकि मुर्गी, बटेर या टर्की को साफ, ऊॅचे एवं सूखे स्थान जहॉ पानी न लगता हो वहीं पाली जा सकती है। स्थान उपलब्धता के अनुसार दरबा विधि, खुले मे या पिंजरा विधि में मुर्गी पालन किया जा सकता है।

गरीब भूमिहीन महिलाओं के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिग सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत शुरू में मुफ्त, बाद में अल्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर करायी जाती हैं, इसी प्रकार पोल्ट्री के मूल्य संबर्धित उत्पाद जैसे उनके मांस प्रसंस्करण कर विभिन्न प्रकार के आचार तैयार करना भी दीनदयाल अत्योदय योजना, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

पशुपालन के विभिन्न आयाम मे पहाड़ी क्षेत्रों में बकरी व भेड़ पालन के साथ बैकयार्ड खरगोश पालन अपनाकर महिलांए आसानी से स्वावलम्बित हो सकती है। खरगोश को भी घर की सब्जियों के पत्ते व थोडे बहुत घास के साथ आसानी से पाला जा सकता है। खरगोश पालन हेतु बैको से ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यद्यपि विभिन्न सरकारी योंजनाओं की पहुॅच ग्रामीण महिलाओं, विशेष कर भूमिहीन होने की दशा में ऋण की आसान उपलब्धता एक काँटो भरी राह के समान है, ऐसे में विभिन गैर सरकारी सगठनों (एन0जी0ओ0) तथा सरकारी प्रसार तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जिनके माध्यम से आज महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर बैंकों से इनकी छोटी बचत की पूॅजी के कई गुणा ऋण आसानी से मिल जाता है। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जहॉ महिलाओं के नाम ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि न होने के कारण कोई ऋण सुविधा नही मिल पाती थी आज आसानी से ऋण मिल रहा है और महिलाएं स्थानीय संसाधनो की उपलब्धता

के अनुसार अपने पशुपालन व अनुषांगिक व्यवसाय को चुनने में समर्थ हुई हैं। इससे दिन–रात परिश्रम के बावजूद पैसे के लिए पुरूषों पर ही निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर महिलाएं बढ़ रही है, तथा रूढिवादी परम्पराओं व पाबंदियों से बाहर निकलने में अपनी भावी पीढी को अच्छी शिक्षा देने में समर्थ हो रही है।

निश्चित ही पशुपालन महिलाओं की आर्थिक उन्नति का प्रतीक ही नही है, अपितु ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की स्वर्णिम संभावनाओं को प्रदान करता है। महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो घरेलू कार्य के साथ बिना विचलित हुए आर्थिक जगत को भी संचालित करती हैं। यह कहना अत्यन्त ही न्याय संगत है कि महिला की कार्यशैली निष्ठा से परिपूर्ण होती है और इसका प्रतिफल गुणवत्तापूर्ण और ऐसे में पशुपालन के क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं की आत्मनिर्भरता, उन्हें स्वावलम्बी व परिवार तथा समाज में निर्णयात्मक कार्यो में भगीदारी की सुनिश्चिता और नीतिपरक भूमिका में अवसर प्रदान करेगी।